



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी संख्या - 3105 वर्ष 2026

राजकुमारी

याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 12 अन्य

... उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जया नाथ पटेल, मयंक शेख सिंह
भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सीएससी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को सूचित करना और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखना उचित नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को आदेश से असंतुष्ट है, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2-उप मंडल मजिस्ट्रेट, न्यायिक, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर को अपील संख्या 558/2025, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या T2025143660300558 का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मामले का शीघ्रता से, कानून के अनुसार और बिना किसी कानूनी बाधा के अनावश्यक स्थगन दिए बिना निर्णय करे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

5 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"